सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2019-2020)

16

सत्रहवीं लोक सभा

सोलहवां प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(20.03.2020 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली.

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941 (शक)

22 cpl cover page 2019 kk

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
परिशिष्ट	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	03
अनुबंध	समिति की 04.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	06

23 cpl cover page-2019 kk

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2019-2020)

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क़
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यदव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
4. श्रीमती रजनी भगत - समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में यह सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने 04.03.2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

3. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली;

मार्च, 2020

फाल्गुन, 1941 (शक)

श्याम सिंह यादव

सभापति,

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति।

(3)

प्रतिवेदन

समिति को यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है। इस प्रतिवेदन को 28.12.2018 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, यह प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

3. समिति ने अपने चौंतीसवें प्रतिवेदन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों की जाँच की और सिफारिश की कि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को मंत्रालय को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर सभा पटल पर रख देना चाहिए। मंत्रालय को यह भी सिफारिश की गयी कि यदि किन्हीं कारणों से एनसीएससी के वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय के अंदर सभा पटल पर नहीं रखे जा सके तो उन कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण कि निर्धारित अवधि में अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका, संगत लेखा वर्ष के 30 सितंबर के उपरांत 30 दिनों के भीतर अथवा सभा का अगला सत्र पुनःसमवेत होने के सात दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, अनिवार्य रूप से सभा पटल पर रखा जाए।

4. तथापि, समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए उन की-गई-कार्रवाई उत्तरों से संतुष्ट नहीं है जिनमें बताया गया है कि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों को संगत लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर रखा जाना होता है क्योंकि समिति ने पहले सिफारिश की थी कि वे संगठन जो केवल वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रख रहे हैं, वे संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखेंगे। समिति नोट करती है कि न तो आयोग का वर्ष 2017-18 एवं 2018-2019 वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये और न ही उपर्युक्त अभी तक विवरण सभा पटल पर रखे गये है। वर्तमान स्थिति में, समिति दोहराती है कि इस संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं, जिससे भविष्य में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय में सभा पटल पर रखे जा सकें।

मार्च, 2020
फाल्गुन, 1941(शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

परिशिष्ट

समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)

सिफारिश सं. 13

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (एनसीएससीएसटी) अधिनियम में विभाजन के पश्चात 19.02.2004 को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका वित्तपोषण किया जाता है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों को उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 338 के खंड 5(घ) और खंड 6 के अनुसार सभा पटल पर रखा जाता है। तथापि, उक्त अधिनियम में उपरोक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम में आयोग के लेखापरीक्षित लेखाओं को भी सभा पटल पर रखने का उपबंध नहीं किया गया है।

सिफारिश सं. 14

आयोग के उपरोक्त वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों की जांच करते हुए समिति को बताया गया कि आयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से गैर योजना बजट के अंतर्गत निधियां प्राप्त हुईं। इसलिए आयोग द्वारा लेखापरीक्षित लेखे तैयार नहीं किए गए थे। समिति सभा पटल पर रखे गए वर्ष 2015-16 के आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन से यह पाती है कि प्रतिवेदन में एक खंड बनाया गया है जिसमें उक्त वर्ष के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त और उपयोग की गई निधियों को दर्शाया गया है। तथापि, समिति यह सिफारिश करती है कि आयोग के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों का भी प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाए ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सिफारिश सं. 15

समिति ने पाया कि आयोग के वर्ष 2004-2005 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदनों को 06 वर्ष और 11 माह और 10 माह तक के विलंब से सभा पटल पर रखा गया। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का मुख्य कारण आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त करने के कारण हुआ, क्योंकि प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों को संसद में रखा जाता है। समिति सराहना करती है कि यद्यपि समिति द्वारा इस मामले को उठाने और मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के बाद विलंब की अवधि वर्ष 2005-2006 में 06 वर्ष और 11 माह से घटकर वर्ष 2016-2017 में 10 माह हो गई, फिर भी प्रयास जारी रखे जाने की आवश्यकता है ताकि समिति की सिफारिश के अनुसार संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात 06 माह के अंदर आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जा सके। समिति को इस संबंध में किए गए ठोस उपायों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

" सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति" द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संगठनों के वे वार्षिक प्रतिवेदन जिन्हें सभा पटल पर रखा जाना होता है, उन्हें लेखाओं के बंद होने के नौ महीने के भीतर रखना होता है। यह समय-सीमा एनसीएससी के वार्षिक प्रतिवेदनों के मामले में भी लागू होती है।

जहां तक आयोग के लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने का संबंध है, एनसीएससी ने संसदीय समिति को यह सूचित किया है कि "एनसीएससी को सहायता अनुदान जारी नहीं किया जाता है। गैर-योजना बजट के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से आयोग को निधियों का आवंटन किया जाता है। अतः, लेखा परीक्षित लेखाओं को आयोग द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। "

जैसा कि बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 338 में आयोग के लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने हेतु कोई उपबंध नहीं है। साथ ही, वर्तमान में संविधान में ऐसा उपबंध पुरःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. 17016/4/2015-आरआईसी, दिनांक 28.03.2019)

सिफारिश सं. 16

समिति मंत्रालय पर यह जोर भी देती है कि यदि किसी कारणवश, एनसीएससी के वार्षिक प्रतिवेदनों को निर्धारित समय के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका तो आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित अवधि के अंदर सभापटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण संबद्ध लेखा वर्ष में 30 सितम्बर के बाद 30 दिनों के भीतर अथवा अगले सत्र के समवेत होने के 07 दिन के अंदर, जो भी बाद में हो, सभापटल पर रखा जाए।

सरकार का उत्तर (सिफारिश क्रम सं. 14 से 16)

अभी तक अर्थात 2016-17 तक, माननीय राष्ट्रपति को एनसीएससी द्वारा प्रस्तुत सभी वार्षिक प्रतिवेदन तत्संबंधी की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) सहित, संसद के दोनों सदनों में पहले ही रखे जा चुके हैं। अतः, आयोग के लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखने के कारण, इन प्रतिवेदनों के एटीआर के भाग नहीं हैं। साथ ही, जैसा कि संसदीय समिति द्वारा सुझाव दिया गया है, उपर्युक्त प्रतिवेदन के मामले में निर्धारित अवधि के भीतर दोनों सदनों के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन नहीं रख पाने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक अग्रिम विवरण नहीं रखा जा सका। तथापि, संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में, आयोग के लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण, भविष्य में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते समय स्पष्टीकरण ज्ञापन में शामिल किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के लिए एनसीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन अभी तक विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रतिवेदन (और भविष्य में एनसीएससी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कोई भी वार्षिक प्रतिवेदन) को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण, 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखते समय रखा जाएगा। इसमें संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन हो जाएगा।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. 17016/4/2015-आरआईसी, दिनांक 28.03.2019)

अनुबंध

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-20) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, बुधवार, 04 मार्च, 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली केसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनिश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

X X X X X

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), नई दिल्ली;
(2) एसईजेड-फाल्टा, कोलकाता, एसईईपीजेड, मुंबई और नोयडा;
(3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), नई दिल्ली;
(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली;
(5) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ);
(7) पांच क्षेत्रीय सांस्कृति केन्द्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एसजेडसीसी), तंजावुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एससीजेडसीसी), नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनसीजेडसीसी), इलाहाबाद और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर;
(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन आठ प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी), नई दिल्ली;
(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली;
(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी;
(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
(5) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नई दिल्ली;

(7) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय (सीसीपीडी), नई दिल्ली;
(8) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी), नई दिल्ली;
(9) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके), नई दिल्ली;
(10) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय;
(11) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम;
(12) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली;
(13) एम्स (भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश);
(14) सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटीक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली; तथा
(15) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान (नाईपर), मोहाली।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन पंद्रह प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. समिति ने इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-16. X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।